

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग (पशुपालन)

अनुसूचित जाति (गया एवं समस्तीपुर जिला में) के अनुमानित 8528 तथा
अनुसूचित जनजाति (कटिहार एवं पूर्णियाँ जिला) के अनुमानित 2520 अर्थात
कुल 11048 परिवारों के बीच ब्लैक बंगाल नस्ल की तीन प्रजनन योग्य (एक इकाई) बकरियों का चयनित
बकरीपालकों/गरीब परिवारों के बीच निःशुल्क वितरण हेतु सरकार की अनूठी पहल ।

समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना-बकरी वितरण

उद्देश्य

- पशुपालकों के बीच बकरी पालन को बढ़ावा देना।
- जीवन यापन की समुचित व्यवस्था करना।
- आय का अतिरिक्त साधन मुहैया कराना।

लाभुक का चयन

- जन प्रतिनिधियों के सहयोग से जिला पशुपालन पदाधिकारी द्वारा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सुयोग्य बकरीपालकों/गरीब परिवारों (B.P.L.) का चयन ।
- महिला आवेदिका को प्राथमिकता।

अधिक जानकारी हेतु निदेशक, पशुपालन अथवा संबंधित
जिला पशुपालन पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित करें।



प्रपत्र-1

वर्ष 2014-15 में "समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के तहत निःशुल्क बकरी
वितरण की योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदक का नाम :		आवेदक का पासपोर्ट साईज का अभिप्राणित फोटोग्राफ
2. पिता/पति का नाम :		
3. जन्म तिथि :		
4. उम्र :		
4. शैक्षणिक योग्यता :		
5. पेशा :		
6. कोटि : (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति)	(जाति प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)	
7. बी0पी0एल0 न0.....		
8. स्थायी पता :-		
ग्राम :	पोस्ट :	
थाना :	प्रखंड :	
जिला :	पिन कोड :	
9. दूरभाष/मोबाईल न0:-		
10 बकरी पालन में प्राप्त प्रशिक्षण अथवा पूर्व अनुभव का विवरण :		

प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा दी गई उपर्युक्त सूचनाएँ सही हैं तथा योजना के लिए निर्धारित शर्तों का मेरे द्वारा अनुपालन किया जाएगा।

तिथि

आवेदक का हस्ताक्षर

आवेदन का प्राप्ति रसीद

प्राप्ति रसीद संख्या :-

दिनांक-/2014

आवेदक श्री पिता/पति का नाम :-

ग्राम : पोस्ट : थाना :

प्रखंड : जिला : पिन कोड : द्वारा

"समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना" के तहत निःशुल्क बकरी वितरण की योजना के तहत लाभ प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र सभीवांछित अनुलग्नकों सहित प्राप्त किया।